राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 58/2025 प्रा0पत्र

अनवान

श्रीलाल पुत्र करमाराम जाति रेगर आयु 65 वर्ष निवासी अजीतगढ़ तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... प्रार्थी

विरूद्ध

1. दीपाराम पिता किशनाराम जाति बलाई आयु 50 वर्ष निवासी पैला बाड़िया अजीतगढ़ तहसील भीम जिला राजसमंद।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थितिः—

01. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार चौहान
02. अप्रार्थीगण संख्या 02 की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थरगढ़ी

निर्णय

दिनांकः— 02/4/2026

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी की सामलाती खातेदारी आराजियात जमाबंदी ग्राम अजीतगढ़ पटवार हल्का अजीतगढ़ तहसील भीम जिला राजसमंद की सरहद में स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार जमाबंदी संवत् 2074—2077 में दर्ज होकर कब्जे काश्त है जिसके खसरा संख्या 668 एवं रकबा 0.1052 है0 किस्म चाही 01 है। प्रार्थी दिनांक 07.01.2025 को अपने उक्त खसरा के खेत पर गया तो अप्रार्थी 01 ने मेरे खेत की पाल पर बाड़ लगा दी और सीमा को लेकर विवाद करने लगा तथा उक्त विवाद उक्त खसरा के पश्चिम दिशा की तरफ स्थित खसरा संख्या 667 के खातेदार अप्रार्थी 01 द्वारा किया गया। उपरोक्त वर्णित भूमि पर मौके पर सही सीमा जानकारी के चिन्ह नहीं होने की वजह से आए दिन घास काटते एवं फसल बोते वक्त और पेड़—पौधे की डालिया जानवरों के लिए काटते वक्त हर समय विवाद होता रहता है एवं बार—बार परिशान्ति भंग होने की सम्भावना बनी रहती है। प्रार्थीगण उक्त भूमि की पाल—डोल लगाकर उन्नत एवं विकसित करना चाहते है। अतः उक्त भूमि का विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर एवं पुराने चिन्हों के आधार पर सीमा को चिन्हित करते हुए बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो भूमि की सीमाएं स्पष्ट हो जाएगी। अतः प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं उपस्थित परन्तु पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब ना दिए जाने पर जवाब बंद किया जाकर पत्रावली स्टेट के जवाब हेतु तय की गई। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी संख्या 02 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर न्यायालय को जवाब पेश

Scanned with OKEN Scanner

किया कि उक्त वर्णित आराजी की खसरा नम्बरान् की मौके पर पुख्ता सीमा चिन्ह नही होने से उक्त प्रकरण मे पत्थरगढ़ी किया जाना उचित है। पत्रावली दिनांक 2/4/26 को वास्ते बहस हेतु मुकर्रर की गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु पुनः दोहराए गए।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, और स्टेट के जवाब पर मनन किया जिसके अनुसार प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है तथा उक्त आराजी पर वर्तमान में कब्जा होने से पत्थरगढ़ी करने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम अजीतगढ़ पटवार हल्का अजीतगढ़ तहसील भीम जिला राजसमंद की सरहद में स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार जमाबंदी संवत् 2074–2077 में दर्ज होकर कब्जे काश्त है जिसके खसरा संख्या 668 एवं रकबा 0.1052 है0 किस्म चाही 01 भूमि की पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजसमन्द)

सहायक कलक्टर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

ांकः– कोर्ट/2026/269 दिनांकः– 16/04/26

ति:–

तहसीलदार
भीम

षयः– निर्णय अनुसार पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 58/2025 प्रा० पत्र अनवान मिश्रीलाल S/o करमाराम निवासी अजीतगढ़ नाम दीपाराम / किशनाराम बलाई निवासी अजीतगढ़ निर्णय दिनांक 02/4/2026 हो चुका है। निर्णय की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही । निर्णय अनुसार पालना की जाकर पालना से नियत दिनांक एक माह से पूर्व अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

रीडर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भीम, जिला राजसमंद

Scanned with OKEN Scanner